

मद क्रमांक 1

राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 30000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹300,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

पी.डी.एस. डीलर का मार्जिन हेतु ₹ 7726.50 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹77,26,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना हेतु ₹ 93200.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 932,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

मार्कफेड को खाद्यान्न उपार्जन में हुए व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु ₹30000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹300,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

शक्कर वितरण योजना हेतु ₹ 3386.50 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹33,86,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

रियायती दर पर आयोडाईज्ड नमक वितरण हेतु ₹4073.50 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹40,73,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7 एवं 8

राईस फोर्टिफिकेशन हेतु ₹ 7112.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹71,12,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

जिला कार्यालय हेतु प्रतिस्थापन मद अंतर्गत वाहन क्रय हेतु ₹ 70.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹70,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।